क्रमांक 44/3/93–5 जी0 एस0 I

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. सभी विभागाध्यक्ष ।
2. आयुक्त अम्बाला, हिसार, रोहतक एवं गुड़गांव मण्डल हरियाणा ।
3. सभी उपायुक्त एवं उप मण्डल अधिकारी (नागरिक) हरियाणा ।
4. रजिस्ट्रार, पंजाब एवं हरियाणा, उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ ।

दिनांक चण्डीगढ़ 17 अगस्त, 1993

विषय : सामान्य स्थानान्तरण नीति ।

महोदय,

उपरोक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकार की हिदायतानुसार स्थानान्तरण पर लगे प्रतिबन्ध के दौरान सभी प्रकार के स्थानान्तरण मुख्य मंत्री महोदय की अनुमति से किये जाने जरूरी होते हैं । इस सम्बन्ध में प्रश्न यह उठा है कि उन केसों में जहां टी0ए0/डी0ए0 तथा ज्वाईनिंग टाईम निहित नहीं जैसे एक ही स्टेशन पर किसी कार्यालय के एक अनुभाग या शाखा से दूसरे अनुभाग या शाखा में किये जाने वाले, स्थानांतरण को स्थानान्तरण माना जाना चाहिए या एडजस्टमैंट और क्या ऐसे केस भी मुख्य मंत्री को भेजे जाने चाहिए ? विचारोपरांत अब यह निर्णय लिया गया है कि क्लास–I के अधिकारियों को छोड़ शेष सभी ऐसे कर्मचारियों/अधिकारियों के स्थानान्तरण जो एक ही स्टेशन पर हों और जिसमें कोई टी0ए0/डी0ए0 या ज्वाईनिंग टाईम निहित न हो उनको करने के लिए मुख्य मंत्री महोदय से अनुमोदन करवाने की आवश्यकता नहीं बल्कि सक्षम प्राधिकारी ऐसा करने में सक्षम हैं ।

इन हिदायतों की दृढ़ता से पालना की जाए ।

हस्ता/–

अवर सचिव सामान्य प्रशासन–I

कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

इसकी एक प्रति सभी वित्तायुक्त/आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है ।

हस्ता/–

अवर सचिव सामान्य प्रशासन–I

कृते मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

सेवा में

सभी वित्तायुक्त/आयुक्त एवं सचिव,
हरियाणा सरकार ।

अशा क्रमांक 44/3/93–5 जी0 एस0 I दिनांक चण्डीगढ़